# आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129 )

आदेश पत्रक सं0– ........................................ से ........................................

जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 47/सन–2025– 26

केस का प्रकार – विविध वाद

| आदेश का क0 सं0 और तारिख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 04.08.2025 | –:आदेशः –<br>यह विविध वाद अभिलेख सं0– 47/2025– 26 आवेदक रंजीत कुवर, पिता– सुधीर कुवर, साकिन– बाघमारी, थाना– धनवार, जिला– गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0– 08, श्री राहुल कुमार वर्मा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है।<br>जाँच प्रतिवेदन अनुसार अचंल धनवार अन्तर्गत मौजा– बाघमारी, थाना नं0– 180 के भौतिक पंजी– II के भाग सं0– I, पृष्ठ सं0– 207 पर पुनीत कुमार वगैरह के नाम से जमाबंदी दर्ज है। परन्तु ऑनलाइन पंजी– II में उक्त जमाबंदी दर्ज नहीं है। प्रतिवेदन में भौतिक पंजी– II के अनुसार ऑनलाईन पंजी– II में उक्त जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की गई है।<br>जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में मौजा– बाघमारी/180 के भौतिक पंजी– II के भाग सं0– I पृष्ठ सं0– 207 में कायम जमाबंदी के अनुरूप ऑनलाईन पंजी– II में जमाबंदी कायम करने के निमित आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।<br>राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 08, श्री राहुल कुमार वर्मा/अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा– बाघमारी/180 के भौतिक पंजी– II के भाग सं0– I पृष्ठ सं0– 207 में कायम जमाबंदी के अनुरूप ऑनलाइन पंजी– II में उक्त जमाबंदी को कायम करने का आदेश दिया जाता है।<br>लेखापित एवं संशोधित।<br>04.08.25<br>अंचल अधिकारी, धनवार। | 04.08.25<br>अंचल अधिकारी, धनवार। |

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2025.08.07 09:55:17 +05:30
Location: 10.144.222.65